**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3322 का उत्तर**

**‘हाई स्पीड रेल’ गलियारे के लिए निधियां**

**3322. डा॰ के॰वी॰पी॰ रामचन्द्र रावः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी शहरों को जोड़ने के लिए ‘हाई स्पीड रेल’ गलियारे का

निर्माण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित परियोजना के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा इसके लिए निधियां कैसे जुटाई जाएंगी?

 **उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग) इस समय, मुम्बई-अहमदाबाद रेल गलियारा देश में एकमात्र स्वीकृत और जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से निष्पादित हाई स्पीड रेल परियोजना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,08,000 करोड़ रु. है। जापान सरकार ने कुल परियोजना लागत की 81% राशि को 0.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर से सुलभ ऋण की व्यवस्था करने की सहमति दी है। इस ऋण के भुगतान की अवधि 15 वर्ष की रियायत अवधि के साथ 50 वर्ष है।

देश के महानगरों और विकास केन्‍द्रों (दिल्‍ली, मुंबई, चेन्‍नै एवं कोलकाता) को जोड़ने वाले डायमंड चतुर्भुज पर छह गलियारों अर्थात् (i) दिल्‍ली-मुंबई, (ii) मुंबई-चेन्‍नै, (iii) चेन्‍नै-कोलकाता, (iv) कोलकाता-दिल्‍ली, और दोनों विकर्णों अर्थात् (v) दिल्‍ली-चेन्‍नै तथा (vi) मुंबई-कोलकाता मार्गों को उच्‍च गति रेल संपर्कता हेतु व्‍यवहार्यता अध्‍ययन के लिए चिन्ह्ति किया गया है। बहरहाल, उच्‍च गति परियोजनाएं अत्‍यधिक पूंजी निवेश और गहन प्रौद्योगिकी वाली होती हैं, इसलिए, उच्‍च गति परियोजनाओं की स्‍वीकृति इसकी तकनीकी व्‍यवहार्यता, वित्‍तीय औचित्‍य तथा संसाधनों की उपलब्‍धता पर निर्भर करती है।

\*\*\*\*\*